भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1896

09 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

फेरीवालों/पथ-विक्रेताओं के लिए दिशानिर्देश

1896. **श्री गोपाल शेट्टी**:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1985 में फेरीवालों और पथ-विक्रेताओं के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु आदेश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त आदेश के अनुसार इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या राज्य सरकारें उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): वर्ष 1985 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने '' बॉम्बे हॉकर्स यूनियन और अन्य बनाम बाम्बे नगर निगम और अन्य'' मामले में नगर पालिका आयुक्त, ग्रेटर बॉम्बे द्वारा प्रस्तावित योजना में कुछ तौर तरीकों का सुझाव दिया और आदेश दिया कि नगर पालिका आयुक्त सुझाए गए निदेशानुसार अंतिम योजना तैयार करेंगे। इस मामले में ग्रेटर बॉम्बे नगर

निगम, महाराष्ट्र राज्य, नगर पालिका आयुक्त और पुलिस आयुक्त प्रतिवादी थे। इस मामले में भारत सरकार प्रतिवादी नहीं थी।

(ग),(घ) और (ड.): शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों के संरक्षण, पथ विक्रय गतिविधियों को विनियमित करने और राज्यों/संघ राज्यों में पथ विक्रय हेतु कानूनी रूप से एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी भी भूमि, परिसर और रेलों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है।

इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह योजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित की गई है। मेघालय का अपना राज्य अधिनियम है।